कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 05.07.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर द्वारा रोडवेज बसों में जहरखुरानी कर यात्रियों को निशाना बनाने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 15,000 रुपये के वांछित मुख्य आरोपी मास्टर माइंड अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से जहरखुरानी कर चोरी किया गया एक मोबाइल फोन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक-29.04.2026 को वादी कुलदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम व पोस्ट जमरवां थाना- हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर द्वारा तथा दिनांक 05.06.2026 को वादी विवेक कुमार पुत्र स्व0 रामशिरोमणि निवासी ताम्बेश्वर नगर, जनपद फतेहपुर द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को निशाना बनाते हुए नशीला/जहरीला पदार्थ सुंघाकर उनके मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिये गये। तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा चोरी किये गये एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन एवं यूपीआई का दुरुपयोग करते हुए वादियों के बैंक खातों से एटीएम व यूपीआई के माध्यम से क्रमशः 98,500/- रुपये एवं 1,44,000/- रुपये की धनराशि अवैध रूप से विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित/आहरित कर ली गयी। उक्त प्रकरण के संबंध में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर क्रमशः मु0अ0सं0 11/2026 एवं मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्टपंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व में, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 11/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305, 311, 318(2), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट बनाम अज्ञात की विवेचनात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में साइबर क्राइम थाना एवं क्राइम डिटेक्शन टीम द्वारा संकलित अभिलेखीय/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए, साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के एक सक्रिय अभियुक्त हर्षित कुमार जोशी पुत्र श्री दादाराम जोशी निवासी मोहल्ला मिश्राना, थाना पिहानी, जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर दिनांक 02.07.2026 को मा0न्यायालय भेजा जा चुका है। तदुपरांत आज दिनांक 05.07.2026 को साइबर क्राइम थाना, फतेहपुर पुलिस द्वारा **दाताराम जोशी उर्फ स्व0 गिरजाशंकर जोशी**, नि० मिश्राना, थाना थाना पिहानी, जनपद हरदोई को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायलय के समक्ष पेश हेतु भेजा गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त दाताराम जोशी उर्फ जेंटर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने गिरोह के साथ दिल्ली व गाजियाबाद बस अड्डों से रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले ऐसे अकेले यात्रियों को चिन्हित करता था, जो लंबी दूरी का टिकट लेकर यात्रा करते थे तथा जिनके पास महंगे मोबाइल फोन, पर्स व अन्य कीमती सामान होता था। वह ऐसे यात्रियों के बगल में बैठकर उनसे बातचीत कर मित्रता स्थापित कर लेता था। रात्रि के समय जब बस मैनपुरी, भोगांव हाईवे के आसपास पहुंचती थी तथा अधिकांश यात्री सो जाते थे, तब वह अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त यात्रियों को नशीला/जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था तथा उनके पास से मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, नकदी एवं अन्य सामान लेकर बस से उतर जाता था।

अभियुक्त ने आगे बताया कि घटना के उपरांत वह चोरी किए गए मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड एवं आधार कार्ड, पूर्व में गिरफ्तार सह-अभियुक्त अपने लड़के हर्षित कुमार जोशी को दे देता था। इसके बाद हर्षित कुमार जोशी उक्त दस्तावेजों एवं मोबाइल फोन को लेकर फतेहगढ़, शाहजहांपुर, लखनऊ आदि जनपदों में जाकर संबंधित बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करता था तथा कार्डधारक बनकर एटीएम का पिन भूल जाने की बात कहकर ओटीपी के माध्यम से नया पिन जनरेट करा लेता था। तत्पश्चात एटीएम बूथों से नकदी निकालता था। एटीएम की निकासी सीमा पूर्ण होने पर कार्ड से मॉल एवं दुकानों पर खरीदारी करता था तथा चोरी किए गए मोबाइल फोन में यूपीआई आईडी सक्रिय/बनाकर पीड़ित के बैंक खाते से भी धनराशि का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर निकाल लेता था। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से अपने गिरोह के साथ अंजाम देना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. दाताराम जोशी उर्फ जेंटर पुत्र स्व0 गिरजाशंकर जोशी, नि० मिश्राना, थाना थाना पिहानी, जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण-

1. जहरखुरानी कर चोरी किया गया एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/1987 धारा Arms Act थाना पिहानी जनपद हरदोई
2. मु0अ0सं0 01/1990 धारा 457/380/411 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
3. मु0अ0सं0 206/1991 धारा 457/380/411 IPC थाना पसगावां जनपद लखीमपुर खिरी
4. मु0अ0सं0 220/1991 धारा Arms Act थाना पसगावां जनपद लखीमपुर खिरी
5. मु0अ0सं0 24/1994 धारा 394 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
6. मु0अ0सं0 31/1994 धारा 396/412 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
7. मु0अ0सं0 163/1994 धारा Arms Act थाना पिहानी जनपद हरदोई
8. मु0अ0सं0 06/1999 धारा 457/380/411 IPC थाना पसगावां जनपद लखीमपुर खिरी
9. मु0अ0सं0 195/2002 धारा 352/504/506 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
10. मु0अ0सं0 120/2002 धारा 307 IPC थाना पसगावां जनपद लखीमपुर खिरी
11. मु0अ0सं0 116/2002 धारा 394/411 IPC थाना पसगावां जनपद लखीमपुर खिरी
12. मु0अ0सं0 218/2004 धारा 110G थाना पिहानी जनपद हरदोई
13. मु0अ0सं0 287/2007 धारा गुंडा एक्ट (Gunda Act) व धारा 352/504/506 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई

14. मु0अ0सं0 39/2007 धारा 396/412 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
15. मु0अ0सं0 110/2009 धारा 395/412 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
16. मु0अ0सं0 522/2009 धारा 328 IPC थाना बिलग्राम जनपद हरदोई
17. मु0अ0सं0 763/2014 धारा 452/323/504/506 IPC थाना पिहानी जनपद हरदोई
18. मु0अ0सं0 11/2026 धारा 123, 305, 318(2), 319(2) BNS व 66B, 66C IT Act साइबर क्राइम थाना फतेहपुर
19. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 123, 305, 318(2), 319(2), 317(2) BNS व 66D, 66C IT Act साइबर क्राइम थाना फतेहपुर

गिरफ्तारी/ तकनीकी जाँच करने वाली टीम -

1. नि0 श्री मोहम्मद कमर खान, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना, फतेहपुर।
2. उ0नि0 रणधीर सिंह
3. मु0आ0 अखिलेश उपाध्याय
4. मु0आ0 सुमेश कुमार
5. कां0 अभिषेक यादव